

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक-12/प्रा0-1018/2025-1327
सेवा में,

पटना, दिनांक :- 01.9.26

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय:- राज्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में बेगूसराय जिला अंतर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, तेघड़ा अन्तर्गत चेरिया बरियारपुर बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना जिसके निर्माण के पश्चात् 5 वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव की अवधि समाप्त हो गई है, का अगले 05 (पाँच) वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव हेतु कुल 1964.40 लाख रू० (उन्नीस करोड़ चौसठ लाख चालीस हजार रुपये) मात्र की राशि पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश-राज्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में बेगूसराय जिला अंतर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, तेघड़ा अन्तर्गत चेरिया बरियारपुर बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना जिसके निर्माण के पश्चात् 5 वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव की अवधि समाप्त हो गई है, का अगले 05 (पाँच) वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव हेतु कुल 1964.40 लाख रू० (उन्नीस करोड़ चौसठ लाख चालीस हजार रुपये) मात्र की राशि पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। राज्य योजना मद से राशि का 100% वहन किया जाना है।

2. लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, तेघड़ा में पूर्व से निर्मित चेरिया बरियारपुर बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना जिससे कुल 54 अदद ग्राम आच्छादित है तथा जिसके निर्माण के पश्चात् 5 वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव की अवधि समाप्त हो गई है जिसमें पेयजल की सतत व्यवस्था बनाये रखने हेतु अगले 5 वर्ष के परिचालन एवं रख-रखाव की आवश्यकता है।

3. क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा उपरोक्त वर्णित योजनाओं के परिचालन एवं रख-रखाव से संबंधित प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसके क्रियान्वयन पर कुल-1964.40 लाख रू० (उन्नीस करोड़ चौसठ लाख चालीस हजार रुपये) मात्र का व्यय संभावित है, जिसका तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है। इस प्राक्कलित राशि में योजनाओं के पाँच (05) वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव (विद्युत प्रभार सहित) की राशि शामिल है। प्राक्कलन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किया गया है।

4. योजना के परिचालन एवं रख-रखाव पर होने वाला व्यय बजट माँग संख्या-36 का मुख्य शीर्ष-2215 जलपूर्ति तथा सफाई-उपमुख्य शीर्ष-01-जलपूर्ति-लघु शीर्ष-102-ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-उपशीर्ष-0107 ग्रामीण जलापूर्ति योजना का परिचालन एवं रख-रखाव-सात निश्चय-2 विपत्र कोड-36-2215011020107-विषय शीर्ष-27-02 अनुरक्षण एवं मरम्मत मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।

5. योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में राशि का पर्याप्त बजटीय उपबंध है।

6. जलापूर्ति योजनाओं का संचालन, संपोषण एवं मरम्मत का कार्य विभागीय संकल्प सं०-543, दिनांक-28.06.2021 द्वारा प्रावधानित अनुरक्षण अनुदेशों के अनुरूप संपादित किया जायेगा।

(क) ६०५

१४

7. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल तेघड़ा होंगे।

8. योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक ही सीमित रहेगा। राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी/बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत संधारित खाते के माध्यम से राशि की विमुक्ति कर योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाएगा।

9. संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता योजना का कार्यान्वयन अनुमोदित प्राक्कलन के विभिन्न मदों की विशिष्टियों के अनुरूप एवं निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेंगे।

10. इस योजना का मुख्यालय स्तर पर अनुश्रवण की जवाबदेही मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) की होगी।

11. इस योजना के अनुश्रवण की जवाबदेही संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता की होगी जो योजना के परिचालन एवं रख-रखाव का नियमित अनुश्रवण करेंगे एवं अपना निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियंता को भेजेंगे तथा आवश्यकतानुसार निराकरण भी सुनिश्चित करायेंगे।

12. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

13. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

14. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।

15. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-एम-4-53/2007/12888/वि0, दिनांक-03-12-24 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।

16. योजना का क्रियान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

17. यह राशि उसी मद में खर्च की जाएगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गई है, अन्य मद में नहीं।

18. योजना के क्रियान्वयन के पूर्व सक्षम प्राधिकार से योजना में प्रावधानित सभी अवयवों का अद्यतन अनुसूचित दर पर तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त निविदा आमंत्रण की कार्रवाई की जायेगी।

19. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा दी गई है।

20. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

31.08.2026

(अभय कुमार सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

(कार्य प्रबंधन)

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/योजना एवं विकास विभाग/संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय/ कार्य प्रबंधन)/प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, बिहार/मुख्य अभियन्ता (उत्तरी/दक्षिणी बिहार)/मुख्य अभियन्ता (रूपांकण)/मुख्य अभियन्ता (याँत्रिक)/विशेष पदाधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/विशेष पदाधिकारी के तकनीकी सलाहकार-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/उप निदेशक (अने0)/कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल सं0-2 एवं 3 /प्रशाखा-12/आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. माननीय मंत्री महोदय के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

3M
51.08.2026

(अभय कुमार सिंह)

अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

(कार्य प्रबंधन)

501